बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का0आ0सं0–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–20 / 2021 /पटना, दिनांक 09/4/25

कार्यालय आदेश – 59

श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 30.06.2023) के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में मुख्य रूप से विभागीय कार्यालय आदेश सं0–78 सहपठित ज्ञापांक–4799 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना से रा0उ0प0 प्रमंडल, मोतिहारी स्थानांतरित किये जाने के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आरोप के लिए उन्हें कार्यालय आदेश सं०–87–सहपठित ज्ञापांक–3707 (ई०) दिनांक 21.06.2021 के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया। तदोपरांत आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश सं०–117–सहपठित ज्ञापांक–5239 (ई०) दिनांक 10.08.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसे उनके दिनांक 30.06.2023 को सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–92–सहपठित ज्ञापांक–4467 (ई०) दिनांक 18.07.2023 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–93–सहपठित ज्ञापांक–4468 (ई०) दिनांक 18.07.2023 के द्वारा उनके सेवानिवृति की तिथि दिनांक 30.06.2023 के अपराह्न से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1052 अनु०, दिनांक 03.07.2024 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा के उपरांत जॉच प्रतिवेदन में गठित निष्कर्ष के तहत अंतर्निहित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–3822 (ई०) दिनांक 12.08.2024 के द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। तदालोक में श्री कुमार ने पत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–175–सहपठित ज्ञापांक–5502 (ई०), दिनांक 05.11.2024 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया : –

(a) श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम, 43(बी) के तहत 05% पेंशन की दो वर्षों तक कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(b) श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 21.06.2021 से 30.06.2023 तक को विनियमित करने का अन्तिम निर्णय नियमानुसार एतद् संबंधी कारण–पृच्छा करके की जायेगी।

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–153 (ई०) दिनांक 08.01. 2025 के द्वारा उनके निलंबन अवधि दिनांक 21.062021 से 30.06.2023 तक को, मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि माने जाने के रूप में विनियमित करने के संबंध में कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार ने पत्र दिनांक 13.01.2025 के माध्यम से अपना कारण–पृच्छा

क्र०पृ०उ०

उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षा में पाया गया कि–उन्होंने मुख्य रूप से नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किये जाने के संबंध में वही सब तर्क एवं तथ्य का उल्लेख किया है, जो उन्होंने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर एवं अपील अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित किया था। उल्लेखनीय है कि उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के सम्यक समीक्षोपरांत कार्यालय आदेश संख्या–175–सहपठित ज्ञापांक–5502 (ई०) दिनांक 05.11.2024 के द्वारा अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध दण्डादेश का संसूचन किया गया है। साथ ही उनके अपील अभ्यावेदन को भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1886 (एस) दिनांक 05.03.2025 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री निरंजन कुमार, सेवानिवृत कनीय अभियंता ने अपने अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/तर्क एवं साक्ष्य समर्पित नहीं किया है, जिसके आधार पर इस पर नये सिरे से विचार किया जा सकता है। अतः उनके कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक 21.06.2021 से 30.06.2023 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

"श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 21.06.2021 से 30.06.2023 तक) में उनको मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा यह अवधि अन्य प्रयोजनाथ कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा।"

ह०/–

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01 (पथ) आरोप–20/2021– पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–20/2021– पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री निरंजन कुमार, सेवानिवृत कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार पत्राचार का पता–राम जयपाल नगर, नियर–सोनू मार्केट, गोला रोड, दानापुर, पिन–801503** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा—1 (पथ) आरोप—20 / 2021— 3065(S) पटना, दिनांक 09/4/25

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

9/4/25

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

08.04.25

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh